A 6/1

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 43/2016

प्रार्थीगण–

1. उत्तमाराम पुत्र कालुराम
2. वीराराम पुत्र कालुराम
   जाति मेगवाल निवासी खारिया कला तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. सूजानसिंह पुत्र प्रतापसिंह
2. कमलसिंह पुत्र प्रतापसिंह
3. रेखकंवर पत्नि प्रतापसिंह
4. जोधसिंह पुत्र प्रतापसिंह
5. वीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह
   जाति रापजूत निवासी खारिया कला तहसील रामसर जिला बाड़मेर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रामसर

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 27.03.1967 जो सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा मुकदमा नंबर 75/1965 प्रतापसिंह बनाम कालूराम व अन्य के विरूद्ध पारित की गई।

उपस्थितिं :–

1. श्री मनोज पारिक, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 01 से 05 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 06 प्रफोर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

आदेश

दिनांक : 15/02/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:24 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थीगण की ओर से उक्त रेफरेन्स आवेदन पत्र [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर [illegible] (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा मुकदमा संख्या 75/1965 [illegible] बनाम कालूराम व अन्य में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 27.03.1967 को विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा खारिया कलां के खसरा नंबर 110 रकबा 40–19 बीघा बारानी सोयम भूमि

जिला कलक्टर
बाड़मेर

वक्त बंदोबस्त प्रार्थीगण के पिता कालु वल्द मनछा हिस्सा 1/2, अचला वल्द टमा हिस्सा 1/2 कौम भांभी साकिन देह खातेदारान के नाम दर्ज हुई थी। अप्रार्थीगण के पिता प्रतापसिंह द्वारा उक्त भूमि अपनी खुद काश्त होना उल्लेखित कर उक्त भूमि खातेदारी में घोषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत वाद में सुनवाई उपरान्त विवादित भूमि वादी प्रतापसिह की खातेदारी में घोषित करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रतिवादीगण अर्थात प्रार्थीगण के पिता कालु पुत्र मनछा व अन्य प्रतिवादी अचला वल्द टमा वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री को विधिविरूद्ध मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का समग्र रूप से परीक्षण किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज कालुराम पुत्र मनछाराम व अचलाराम पुत्र टमा राम जाति मेगवाल (भांभी) निवासी खारिया कला तहसील बाड़मेर हाल तहसील रामसर की खातेदारी भूमि खसरा नं. 110 रकबा 40–19 बीघा किसम बारानी सोयम मौजा खारिया कला में आई हुई थी, जिसका पर्चा लगान प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम जारी हुआ था। प्रार्थीगण के पूर्वज कालुराम व अचलारांम दोनों ही मेगवाल जाति के होने से अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को बेचान, दान, वसीयत इत्यादि द्वारा हस्ता[illegible] की जा सकती हैं और ना ही न्यायालय द्वारा उक्त [illegible] पारित कर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को खातेदार घोषित किया जा[illegible] आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज प्रतापसिह पुत्र तेजमालसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया के पक्ष में जारी [illegible]की प्रारम्भ से ही शून्य होने से उक्त डिक्री को निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेंस करना आवश्यक, उचित एवं न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:24 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि वादी प्रतापसिह द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1965 में वाद प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 1954–55 का अपना कब्जा होने से संबंधित गिरदावरी की नकल, लगान अदा करने की रसीद एवं उक्त खसरे की भूमि पर कब्जा होने से संबंधित कोई मौका कब्जे की रिपोर्ट पेश नहीं की। प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम वक्त बंदोबस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर पर्चा लगान जारी हुआ एवं खतोनी बंदोबस्त में बतौर खातेदार दर्ज हुए है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में किये गए इन्द्राज सही होने की उक्त धारणा की जाती है तथा उक्त उप धारणा का खंडन करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का होना आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता को मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी प्रदान की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण के पिता के मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को खातेदारी में दर्ज करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जिसे निरस्त करने हेतु यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जावे।

6. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि विवादित भूमि खसरा नं. 110 रकबा 40–19 बीघा मौजा खारिया किता वक्त सेंटलमेंट राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण के पूर्व पुरूषों कालु वगैरह के नाम से दर्ज हुई जबकि उक्त खेत विप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष का ही था जो प्रार्थीगण के पूर्व पुरूषों के माध्यम से काश्त करवाते थे। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.1967 बमुकदमा सं. 75/1965 प्रतापसिह बनाम कालु वगैरह पूर्ण रूप से विधि सम्मत रूप से अंतिम हो चुका है, जिसे पारित हुए करीब 50 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् अब प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है और न ही रेफरेंस किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण यदि उक्त मुकदमें से व्यथीत है तो नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर निर्णय को चुनौती देने हेतु स्वतंत्र थे किन्तु ऐसा नहीं किये जाने से प्रार्थीगण इस निर्णय से कानूनन विबंधित है। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतया झूठ एवं कयासी है कि हाल ही में वर्ष 2016 में [illegible] राजस्व रेकर्ड के अंकन का ज्ञान हुआ [illegible] विप्रार्थीगण [illegible] धमकी [illegible] ही हो। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त तत्समय [illegible] ऐसे में धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण [illegible] आवेदन पद धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते रेफरेंस [illegible] ने विधि एवं सिद्धान्तः पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:24 IST
Reason: SelfAttested

खर्चे से जेरबार करने की नियत से यह आवेदन पत्र पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

7. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं आलोच्य निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थीगण के पिता ने अपने वाद पत्र में यह प्रकट किया है कि विवादित भूमि पर संवत 2012 से पूर्व ही उसका कब्जा काश्त रहा है एवं प्रतिवादीगण उसकी ओर से काश्त करते है व वक्त पैमाईश प्रतिवादी सं. 01 चेनमेन का काम करता था जिसनें साथ रहकर भूमि की पैमाईश करवाई किन्तु उक्त पैमाईश का समस्त खर्चा वादी ने बर्दाश्त किया। बंदोबस्त अधिकारीयों ने गलती से वादग्रस्त खेत को प्रतीवादी की खातेदारी में दर्ज कर दिया व पर्चा लगान भी जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पिता की ओर से प्रस्तुत वाद के समर्थन में वादी सहित तीन अन्य गवाहान के बयान करवाये गये। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में गिरदावरी दस्तावेज प्रदर्शित कराया गया है किन्तु बयान में यह नहीं कथन आया है कि गिरदावरी किसके नाम हुई। इसके अलावा निर्णय में गिरदावरी संवत् 2020 का विवेचन कर अंकित किया है कि संवत् 2017 में बालु वल्द माधो दर्ज है और संवत् 2018 से वादी की काश्त दर्ज है। इसके अलावा अप्रार्थीगण के पिता की ओर से वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पिता का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त शुरू से होने के आधार पर खातेदारी दिये जाने का आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि आलौच्य निर्णय व डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है तथा यह भी प्रकट किया कि इस हेतु मयाद की बाधा नहीं है तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक निर्णय नजीर आरएलडबल्यू 2008 (2) आरजे 1290 (राज.) प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा छेलसिंह व अन्य बनाम राजस्थान रा[illegible] में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद डिक्री [illegible] जा सकता है तथा तर्कसंगत अवधि प्रत्येक प्रकरण के [illegible] करती है। धारा 232 में कोई समय [illegible] इसके विपरीत अधिवक्ता विप्रार्थी द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2013 [illegible] आरआरटी 811 रामेश्वर बनाम जगदीशराम प्रस्तुत की गई जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेंस सं. 3754/2008 निर्णय दिनांक 04.12.2012 में यह निर्धारित किया गया है कि रेफरेंस समूचित समय में पेश हो तथा धारा 232 में रेफरेंस की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

A 6/5

श्रेणी में डिक्री शब्द 1981 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है तथा इससे पूर्व की डिक्री पर धारा 42 लागू नहीं होती है। इसी प्रकार 1996 आरआरडी पेज 565, 2017 आरआरडी पेज 98 की नजीरों का आलम्ब लेते हुए प्रकट किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत रेफरेंस को खारिज किये गए है। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीरों में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा छेलसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय में इन समस्त विधिक बिन्दुओं की स्थिति पर विस्तृत व्याख्या कर विवेचन दिया गया है कि मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है एवं विलम्ब का तर्कसंगत कारण प्रकट किया जाता है तो आवेदन को विलम्बित होना नहीं कहा जा सकता है साथ ही धारा 232 में कोई समय सीमा का उपबंध नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के तथ्य हस्तगत प्रकरण से काफी मिलते जुलते है तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस आवेदन पत्र अंतिम निश्चय हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाना उचित है क्योंकि उक्त वाद में स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस आधार एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे विनम्र अभिमत अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि की अवैध तरीके से बिना किसी स्वामित्व साक्ष्यों के अप्रार्थीगण के पिता के हक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसे इस रेफरेंस आवेदन पत्र के द्वारा निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेंस प्रार्थना–पत्र इस अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाता है कि सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा अवैध रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि अप्रार्थीगण के पिता गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी में इन्द्राज किये जाने के आलोच्य [illegible] निरस्त फरमाया जावे। प्रकरण में राजस्व मण्डल के समक्ष सुनवाई तिथि 15.03.2021 नियत की जाती है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण [illegible] तिथि पर राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:24 IST
Reason: SelfAttested

9. आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)